पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 171/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति सैनी साकिन भादरा।

- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी पक्ष पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 171/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति सैनी साकिन भादरा।

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी
निर्णय **दिनांक : 14.5.18**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाटान के खसरा सं0 175/2 की कुल 1.2650 है0 भूमि वर्तमान में नरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल सैनी साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा (चिमनी) लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बंद है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा खसरा सं0 175/2 की कुल 1.2650 है0 भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है। जबाब हेतु बार बार समय दिया गया। जबाब पेश होने पर प्रतिवादी की जबाबदेही बन्द की गई।

वकुलाए फरिकेन उपस्थित बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा वादभूमि में से अकृषि प्रयोजनार्थ (ईंट भट्टा) भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन करवाया जा चुका है। वादी द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी द्वारा संपरिवर्तन करवाए गये रकबे से कम रकबे पर अकृषि कार्य किया जा रहा है व शेष रकबा मौके पर खाली है। वादभूमि का

अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जा रहा रकबा नियमानुसार संपरिर्वतन के पश्चात् औधोगिक भूमि में परिवर्तित हो गया है जिस पर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिए वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राज0काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ